## प्ररूप 21ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

145--रानीवाड़ा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि —

श्री रतन देवासी (नाम) (पता) देव निकेतन गांव मांडोली तहसील—जसवंतपुरा जिला जालोर [जो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस (मान्यता प्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं।]

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

STIR 1 हस्ताक्षर .. 145

स्थान : जालोर तारीख : 03.12. 2023

#### FORM 21C

### (See rule 64)

# (For use in General Election when seat is contested)

#### Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan (State) from the 145-Raniwara Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act,

1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961,

I declare that -

Shri RATAN DEVASI (Name) DEV NIKETAN VILLAGE -MANDOLI TEHSIL JASWANTPURA DISTRICT JALORE (Address) [sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS (name of the recognized/registered political party)] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Jalore Date : 03.12.2023



Signatu Raniwara